मई 2024
वर्ष 38 *संख्या* 5
मूल्य 5 रुपये

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी
(मार्क्सवादी–लेनिनवादी) की केन्द्रीय कमेटी का
मुखपत्र

प्रतिरोध का स्वर

सीपीआई (एमएल)–न्यू डेमोक्रेसी की अखिल भारतीय पार्टी कांग्रेस के सफल समापन पर वक्तव्य

सीपीआई (एमएल)–न्यू डेमोक्रेसी की अखिल भारतीय पार्टी कांग्रेस (2024) का. चंद्र पुल्ला रेड्डी नगर में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई। कांग्रेस की कार्यवाही का. रायला सुभाष चंद्र बोस (रवन्ना) हॉल में आयोजित की गई। हाल में महान शिक्षकों तथा भारत के क्रांतिकारी कम्युनिस्ट आंदोलन के प्रमुख नेताओं के चित्र थे। 31 जुलाई 2019 को पुलिस के हाथों शहीद हुए का. लिंगन्ना का भी फोटो था।

राज्य सम्मेलनों में चुने गए प्रतिनिधियों ने कांग्रेस में भाग लिया। कांग्रेस की कार्यवाही सौहार्दपूर्ण माहौल में जानकारीपूर्ण व जीवंत चर्चाओं और क्रांतिकारी आंदोलन को विकसित करने और भारतीय क्रांति को जीत की ओर ले जाने में भूमिका निभाने के लिए तत्परता की भावना से भरपूर थी। कांग्रेस ने पार्टी के उन नेताओं और कार्यकर्ताओं को श्रद्धाजंलि दी, जिन्होंने पिछली पार्टी कांग्रेस के बाद से अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे और जो गुजर गए थे। पार्टी कांग्रेस ने इस दौरान कम्युनिस्ट क्रांतिकारी संगठनों के गुजर गये नेताओं, क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान सुरक्षा बलों के हाथों मारे गए कम्युनिस्ट क्रांतिकारी संगठनों के नेताओं और कार्यकर्ताओं तथा अन्य देशों की क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टियों के गुजर गये नेताओं को भी श्रद्धांजलि दी। पार्टी कांग्रेस ने तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के ऐतिहासिक विरोध आन्दोलन के दौरान मारे गए 746 किसानों, लखीमपुर खीरी में सत्तारूढ़ दल के गुंडों द्वारा मारे गए चार किसानों व एक पत्रकार, सीएए विरोधी संघर्ष के दौरान और अन्य जनसंघर्षों के दौरान मारे गए लोगों को भी श्रद्धांजलि दी। पार्टी कांग्रेस ने साम्राज्यवाद और प्रतिक्रियावादियों के खिलाफ संघर्ष में शहीदों, खासकर जियनवादी इजरायली शासकों के अमानवीय आक्रमणों में गाजा में 34,000 तथा पश्चिमी तट में मारे गए फिलिस्तीनी लोगों को श्रद्धांजलि दी।

पार्टी कांग्रेस ने उन सभी के प्रति संवेदना व्यक्त की जो इस सरकार की सनक में अमल की गयी नीतियों के कारण मारे गए जैसे नोटबंदी तथा कोविड कुप्रबंधन में और उन मजदूरों को भी जो सुरक्षा के अभाव में औद्योगिक दुर्घटनाओं में मरे तथा कर्ज के बोझ से आत्महत्या करने वाले किसानों को भी।

पार्टी कांग्रेस ने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्थिति के मुख्य रुझानों का विश्लेषण किया और इसके आधार पर मुख्य कार्यों का निर्धारण करते हुए एक राजनीतिक प्रस्ताव 'वर्तमान स्थिति और हमारे कार्य' को मंजूरी दी। इस प्रस्ताव के अनुसार, साम्राज्यवाद के गहराते आर्थिक संकट, सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के धीमा होने, ऋण आधारित विकास होने, कारपोरेट धन वृद्धि और मेहनतकश जनता की स्थिति बिगड़ने से असमानता बढ़ रही है। इस पृष्ठभूमि में साम्राज्यवादी व्यवस्था के मुख्य अंतर्विरोध तीव्र हो रहे हैं और दुनिया 'बड़ी अव्यवस्था' से गुजर रही है। यूक्रेन में युद्ध अंतर–साम्राज्यवादी अंतर्विरोध के तीव्र होने का उदाहरण है और दक्षिणी चीनी समुद्र भी तीव्र अंतर्विरोध का केन्द्र बना हुआ है। साम्राज्यवाद और उत्पीड़ित राष्ट्रों व जनता के बीच अंतरर्विरोध तेज हो रहे हैं और फिलिस्तीनियों का अपनी राष्ट्रीय आकांक्षाओं के लिए संघर्ष वर्तमान में साम्राज्यवाद के विरुद्ध उत्पीड़ित राष्ट्रों के संघर्ष में सबसे आगे है। पश्चिमी देशों में श्रम और पूंजी के बीच अंतर्विरोध भी तेज़ हो रहे हैं जो वर्ग संघर्ष के साथ सामाजिक क्षेत्र में संघर्षों के रूप में भी सामने आ रहे हैं तथा युद्ध विरोधी, नस्लवाद–विरोधी और महिला आंदोलन भी बढ़ रहे हैं। उत्पीड़ित देशों में साम्राज्यवाद और घरेलू प्रतिक्रियावादियों के विरुद्ध संघर्ष जारी हैं और साम्राज्यवाद और घरेलू प्रतिक्रियावादियों के विरुद्ध जन आंदोलनों के लिए परिस्थितियाँ अनुकुल होती जा रही हैं।

राष्ट्रीय स्थिति पर प्रस्ताव में फासीवादी तानाशाही थोपने की दिशा में सत्तारूढ़ आरएसएस–भाजपा की बढ़ती मुहिम का उल्लेख किया गया है। इस अभियान को कारपोरेट और ग्रामीण अभिजात वर्ग के बड़े तबके का समर्थन प्राप्त है। सत्तारूढ़ आरएसएस–भाजपा जनता के संघर्षों के खिलाफ काले कानूनों का इस्तेमाल कर रही है और विपक्षी दलों के नेताओं खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। प्रस्ताव में मेहनतकश जनता के खिलाफ विदेशी और घरेलू कारपोरेट के बढ़ते हमलों, देश के औद्योगिक और आर्थिक जीवन के सभी क्षेत्रों में अपना विस्तार करते हुए कृषि में और अधिक हस्तक्षेप करने के उनके प्रयासों का और 4 श्रम संहिताओं के रूप में श्रमिकों के खिलाफ हमले का उल्लेख है। प्रस्ताव में बढ़ती बेरोजगारी और अल्प–रोजगारी के साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बढ़ते शोषण और उत्पीड़न का उल्लेख है। कहा गया है कि देश में बढ़ती असमानता, भूख, गरीबी, अभाव, कुपोषण और उन्मूलन योग्य बीमारियां बढ़ रही हैं।

चुनावों में भाजपा को हराने सहित आरएसएस–भाजपा के धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हमलों, लिंचिंग और हत्याओं, उनकी संपत्तियों और पूजा व शिक्षा स्थलों पर हमलों के विरुद्ध जनता को लामबंद करने का आह्वान किया गया। प्रस्ताव में जनता की आजीविका और अधिकारों के सवालों पर व्यापक आधार वाले जुझारु संघर्षों का निर्माण करने का आह्वान किया गया।

राजनीतिक प्रस्ताव में फासीवादी ताकतों द्वारा किए जा रहे हमलों के खिलाफ जनता के आंदोलनों का निर्माण करने और अन्य ताकतों के साथ संयुक्त कार्यवाही के महत्व पर जोर दिया गया। साथ में जनविरोधी नीतियों को लागू करने और जनता के संघर्षों को दबाने के लिए विपक्षी दलों की सरकारों की आलोचना की गई। राजनीतिक प्रस्ताव में आदिवासियों, दलितों और महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते हमलों के खिलाफ संघर्ष करने और महंगाई, जनता पर बढ़ते कर के बोझ और बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ संघर्ष पर जोर दिया गया।

प्रस्ताव में कम्युनिस्ट क्रांतिकारी ताकतों के साथ एकता करने पर जोर देते हुए कहा गया कि जहां सम्भव हो वहां जनता के सामने बढ़ती चुनौतियों का समन्वित मुकाबला करने के लिए व्यापक मंचों का निर्माण किया जाना चाहिये।

पार्टी कांग्रेस ने जीवंत चर्चा के बाद पार्टी कार्यक्रम को अपनाया। कार्यक्रम ने उद्योग और कृषि के विस्तृत अध्ययन और पार्टी द्वारा किए गए ग्रामीण सर्वेक्षणों के आधार पर औद्योगिक और कृषि परिदृश्य में हुए बदलाव और वर्तमान परिस्थिति पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में भारत भर में विशेषकर कृषि क्षेत्र में विविधता और श्रमिकों के बढ़ते संविदाकरण पर जोर दिया गया। भारत आम तौर पर एक अर्ध–औपनिवेशिक और अर्ध–सामंती देश बना हुआ है और क्रांति का चरण नव जनवादी क्रांति है। कार्यक्रम का मानना है कि साम्राज्यवाद, दलाल नौकरशाह पूंजीवाद और अर्ध–सामंतवाद देश के लोगों के मुख्य उत्पीड़क हैं। इन तीनों के गठजोड़ और आम जनता के बीच का अंतर्विरोध देश में प्रधान अंतर्विरोध है और क्रांति का नेता मजदूर वर्ग और क्रांति की मुख्य शक्ति किसान हैं। कार्यक्रम में भारत में उत्पीड़ित जातियों, आदिवासियों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष पर जोर दिया गया है।

पार्टी कांग्रेस ने नवजनवादी क्रांति को पूरा करने के लिये रास्ते का दस्तावेज भी अपनाया। कांग्रेस ने संसदीय रास्ते को अस्वीकार कर क्रांतिकारी रास्ते को स्वीकार किया और विभिन्न मोर्चों पर कार्यों को निर्धारित करते हुए जोर दिया कि ग्रामीण इलाके ही संघर्ष के मुख्य क्षेत्र हैं। दस्तावेज में माना गया कि यह रास्ता प्राथमिक रूप से भारत की जनता के क्रांतिकारी संघर्षों के अनुभवों पर आधारित है। दस्तावेज में कहा गया कि "पार्टी का शुरुआती मुख्य काम इन क्षेत्रों में जुझारू किसान आन्दोलन विकसित करना" हैं और उसे हथियारबंद संघर्ष (स्थानीय विद्रोह) और सतत् प्रतिरोध के क्षेत्रों में विकसित करना है।

पार्टी कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने 2018 से पार्टी के काम की राजनीतिक संगठनात्मक समीक्षा (पीओआर) को मंजूरी दी। समीक्षा में पार्टी संगठन और कार्यप्रणाली की कमजोरियों को नोट किया गया और असफलताओं पर काबू पाने, कमजोरियों को दूर करने और जनता के संघर्षों को तेज करने में पार्टी की पहल को विकसित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। पीओआर में कहा गया कि कुल मिलाकर कुछ सफलताओं व कुछ विफलताओं का अनुभव इस बीच रहा है और इन सभी से हमें मूल्यवान अनुभव व सबक प्राप्त हुए हैं जिनसे भारत में क्रांति को विजयी बनाने के लिए पार्टी बेहतर योगदान कर सकेगी।

अंतिम सत्र में पार्टी कांग्रेस ने सर्वसम्मति से पार्टी के केंद्रीय निकायों, केंद्रीय नियंत्रण आयोग और केंद्रीय कमेटी का चुनाव किया। नई केंद्रीय समिति में चुने गए कामरेड यतेंद्र कुमार को पार्टी का महासचिव चुना।

पार्टी कांग्रेस ने कई प्रस्ताव अपनाए। इन प्रस्तावों के माध्यम से पार्टी कांग्रेस ने अमेरिका और अन्य पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा समर्थित जियनवादी इजरायली शासकों द्वारा गाजा पर आक्रमण की निंदा की गई और अपने राष्ट्रीय अधिकारों के लिए फिलिस्तीनियों के संघर्ष को पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया; आरएसएस–भाजपा सरकार द्वारा सीएए (नियम) बनाने की निंदा की गई; यूएपीए और अन्य काले कानूनों को निरस्त करने और भीमा कोरेगांव मामले और उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा मामले सहित इन काले कानूनों के तहत जेल में बंद सभी लोगों को रिहा करने की मांग की गई और साथ ही अपनी सजा पूरी कर चुके सभी लोगों को रिहा करने की मांग की। कांग्रेस द्वारा पारित प्रस्तावों में हाल ही में लागू तीन अपराध संहिताओं को निरस्त करने की भी मांग की गई। पार्टी कांग्रेस ने मणिपुर में विशेषकर कुकी जो

(शेष पृष्ठ 3 पर)

2024 लोकसभा चुनाव और जनता के सामने चुनौतियां

2024 लोकसभा चुनाव के लिए सीपीआई (एमएल)– न्यू डेमोक्रेसी की केंद्रीय कमेटी ने आरएसएस–भाजपा और उनके एनडीए गठबंधन के सहयोगियों को हराने का आह्वान किया है। केंद्रीय समिति के आह्वान में कहा गया है– "इन चुनावों में दांव पर सिर्फ यह नहीं है कि कौन–सी पार्टी सरकार बनाएगी, बल्कि यह भी है कि देश में किस तरह का शासन होगा। सत्तारूढ़ आरएसएस–भाजपा ने पिछले 10 वर्षों में अपनी सत्ता के दौरान जनता, उनके संगठनों और संघर्षों के खिलाफ चौतरफा हमले की जमीन तैयार की है और दमन के औजारों, उसके तंत्र और कानूनी ढांचे को मजबूत किया है। साथ ही वे शासक वर्गों के विपक्षी दलों पर भी हमला कर रहे हैं। देश पर फासीवादी तानाशाही थोपने के लिए वह राज्य सत्ता पर अपने एकाधिकार का रास्ता तैयार कर रहे हैं।"

इन चुनावों के लिए आरएसएस–बीजेपी नेताओं ने भाजपा के लिए 370 सीटें और और उनके नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए के लिए 400 से अधिक सीटें हासिल करने का लक्ष्य रखा है। सत्तारूढ़ दल के कुछ नेता खुले तौर पर कह रहे हैं कि संविधान बदलने के लिए उन्हें अपने दो तिहाई बहुमत की जरूरत है। हालांकि ऐसे बड़े–बड़े दावे अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए हो सकते हैं, लेकिन संविधान बदलने की उनकी योजना खासतौर पर संविधान में निहित अधिकारों को खत्म करने की बातें, काफी चर्चा में रही हैं। आरएसएस–भाजपा का शीर्ष नेतृत्व अपने नेताओं को इस तरह के बयान देने के लिए प्रोत्साहित करते हुए इंकार का रुख भी अपनाते रहे हैं। आरएसएस द्वारा उत्पीड़ित तबकों, उत्पीड़ित जातियों, आदिवासियों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों और राज्यों के अधिकारों के लंबे समय से किए जा रहे हमलों को देखते हुए ये बयान ऐसे बड़े बदलाव की जमीन तैयार करते दिखाई दे रहे हैं, जिसका ठोस रुप चुनावों के नतीजों पर निर्भर करेगा।

यह ध्यान देने लायक है कि आरएसएस अगले साल अपने अस्तित्व की एक सदी पूरी करने जा रहा है, जो एक फासीवादी संगठन के इतने लंबे अस्तित्व के लिए दुर्लभ है। इस अवधि में इसने विभिन्न राजनीतिक परिस्थितियों में अपने फासीवादी उद्देश्यों और मंसूबों को अंजाम दिया है और इस लंबी अवधि में यह एक हाशिए के संगठन से शासक वर्गों के प्रमुख संगठन तक का लंबा सफर तय कर चुका है। हमारा उद्देश्य इसके इतिहास में जाना नहीं, बल्कि यह समझना है कि एक सदी से भी अधिक समय से फासीवादी ताकतों का यह विकास समाज में गहरी असमानता और ब्रिटिश उपनिवेशवादियों द्वारा सत्ता हस्तांतरण के बाद भी राज्य के अलोकतांत्रिक चरित्र में निहित है। भारतीय समाज जाति व्यवस्था से ग्रस्त है, जिसमें उच्च जातियां न केवल संसाधनों पर बल्कि राज्य सत्ता पर भी हावी हैं। स्वाभाविक रूप से असमान समाज में, सार्वभौमिक मताधिकार पर आधारित लोकतंत्र एक असहज परिणाम प्रतीत होता है, एक ऐसा विरोधाभास जिसे संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्पष्ट रुप से इंगित किया था। जहां बड़े पूंजीपति और बड़े जमींदार भारतीय राज्य को नियंत्रित करते हैं, इसके प्रबंधन का काम हिंदू उच्च जातियों से संबंधित सामाजिक स्तरों द्वारा किया जाता है या इन तबकों के लोग इस प्रबंधन में प्रधान भूमिका रखते हैं। इसीलिए भारत में संसदीय लोकतंत्र स्वरूप में तो लोकतांत्रिक है, लेकिन सार रूप में अलोकतांत्रिक है। यह पश्चिम के विकसित पूंजीवादी देशों के बुर्जुआ संसदीय लोकतंत्र के जैसा नहीं है। यह पहलू फासीवादी ताकतों के उदय में यहां प्रासंगिक है कि एक अलोकतांत्रिक वर्ग ने संसदीय लोकतंत्र के रूप में अपने अस्तित्व के दौरान भारतीय समाज और भारतीय राज्य दोनों पर हावी रहना जारी रखा है।

इस संबंध में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था भारतीय समाज को प्रतिबिंबित करती है जहां उत्पादन के पूंजीवादी कारक बड़े पैमाने पर सामंती आधार पर विकसित हुए हैं, हालांकि अन्य रूप भी मौजूद रहे हैं। इस तरह के मिश्रित गठन, जिसे अर्धसामंतवाद कहा जाता है, में ग्रामीण इलाकों में पूर्व पूंजीवादी संबंधों की प्रधानता है, जहां अधिकांश देश की जनता रहती है और जो इन चुनावों के द्वारा निर्वाचित निकायों की रूपरेखा निर्धारित करने में बड़ा प्रभाव डालते हैं। ग्रामीण भारत की यह स्थिति विरोधाभासों से और उन पर आधारित संघर्षों से भरी हुई है जो देश में फासीवादी ताकतों के विकास के लिए सामग्री प्रदान करती है। लेकिन यह ताकतें अपने आप में शासन के तरीके को बदलने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हो सकती हैं। भारतीय बड़ी पूंजी जो बढ़ी है और दलाल के रूप में जारी है, साम्राज्यवाद के तत्वाधान में ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारों के साथ गठबंधन कर रही है। इसलिए फासीवादी तानाशाही की ओर रुख विदेशी और घरेलू पूंजी द्वारा सामना किए जाने वाले गहराते संकट में निहित है, जो शासन के तरीके में बदलाव के लिए इन अलोकतांत्रिक ताकतों को संगठित करती है। यानी मौजूदा औपचारिक संसदीय लोकतंत्र से शासन के खुले तौर पर फासीवादी तानाशाही को आतंकी तौर तरीके से लागू करती है।

इस संबंध में मौजूद संसदीय लोकतंत्र के अलोकतांत्रिक पहलू सामने आते हैं। भारत विविधताओं वाला देश है; जाति व्यवस्था, पितृसत्ता के पुराने नियम, हाशिए पर पड़ी बड़ी आदिवासी आबादी वाला बहुराष्ट्रीय, बहुधार्मिक समाज है। फिर भी चुनावों में बहुलवादी प्रणाली अर्थात सबसे अधिक मत पाने वाले के निर्वाचन की प्रणाली अपनाई गई। आनुपातिक प्रतिनिधित्व न केवल अधिक लोकतांत्रिक है, बल्कि भारत की विविधता के अनुरूप भी है लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अगर हम चुनाव प्रणाली की कमियों को नजर अंदाज भी करते हैं, इसके कारण 2014 के आम चुनावों में केवल 30.8 प्रतिशत वोट प्राप्त करने के बावजूद आरएसएस–बीजेपी ने फासीवाद की ओर अपने अभियान की जमीन तैयार करने के लिए सभी राज्य संस्थानों, शिक्षा और इतिहास से संबंधित संस्थानों को अपने लोगों से भरना शुरू कर दिया। अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों की भारी संख्या के बावजूद धनबल और बाहुबल चुनाव प्रक्रिया पर हावी है। एक बार चुने जाने के बाद प्रतिनिधि वायदे पूरे करने की परवाह नहीं करते हैं और लोगों के पास कोई निवारण का सहारा नहीं है–राइट टू रिकॉल (जन प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार) नहीं है। इसके अलावा मुख्य धारा के मीडिया के बड़े पूंजीपतियों के नियंत्रण में होने के कारण जनता से किए वायदों के साथ विश्वासघात कभी मुद्दा नहीं बनता। यद्यपि आज लोगों को फासीवादी तानाशाही का खतरा है, लेकिन यह याद रखना भी प्रासंगिक है कि भारत में फासीवादी ताकतों ने किस अलोकतांत्रिक आधार से अपना पोषण प्राप्त किया है और किस तरह से वे आगे बढ़ी हैं।

हमें वर्तमान व्यवस्था में इन कमियों को उजागर करना चाहिए लेकिन हमें इस तथ्य को भी नजर अंदाज नहीं करना चाहिए कि आज संविधान में निहित अधिकारों को भी फासीवादी ताकतों से खतरा है। वे मुसलमानों को दुश्मन के रूप में चित्रित करते रहे हैं और कह रहे हैं कि वह अन्य समुदायों की सभी समस्याओं के लिए जिम्मेदार हैं। इस सांप्रदायिक अभियान में फासीवादी ताकतों को कारपोरेट मीडिया का समर्थन प्राप्त है जो फासीवादी ताकतों द्वारा लगाए गए सभी झूठे आरोपों को हवा देता है। वह यह जांचने की जहमत नहीं उठाते कि भारतीय मुसलमान देश के सबसे गरीब तबकों में से एक हैं। आरएसएस–बीजेपी जमीनी तथ्यों की परवाह किए बिना मुसलमानों के तुष्टीकरण और ऐसी कई चीजों की बेबुनियाद बात करते हैं। जस्टिस सच्चर समिति (2005) की रिपोर्ट ने भारत में मुसलमानों की स्थिति का विवरण देते हुए तुष्टीकरण के मिथक को बेनकाब किया था। मुसलमानों के नाम पर उनका असली हमला मेहनतकश लोगों के खिलाफ है, जिन्हें वे कॉरपोरेट और जमींदारों के हमले के खिलाफ उनके संघर्षों को रोकने के लिए विभाजित करना चाहते हैं। उनके हमलों की तीव्रता उनके दावों के खोखलेपन को दर्शाती है। मुसलमानों के नाम की आड़ में वे अमीरों और उनकी संपत्ति की वकालत करते हैं। गरीबों को धार्मिक आधार पर बांटते हैं।

देश की जनता बढ़ते बोझ से त्रस्त है और मनगढ़ंत आंकड़ों के आधार पर लोगों की बेहतर होती स्थिति की गुलाबी तस्वीर पेश की जाती है जो लोगों की वास्तविक स्थिति के सामने फीकी पड़ जाती है। दूसरी ओर आधिकारिक डेटा संग्रह पंगु कर दिया गया है । बेरोजगारी में वृद्धि, करों का बढ़ता बोझ, कार्य बल का बढ़ता ठेकाकरण और कृषि पर हमले वर्तमान स्थिति की पहचान हैं और लोगों को अपनी आजीविका के लिए संघर्ष करने की ओर ढ़केलते हैं। इन संघर्षों के सामने आरएसएस–भाजपा का सांप्रदायिक प्रचार फीका पड़ जाता है, जैसा कि कई संघर्षों से स्पष्ट है, जिनमें ऐतिहासिक किसान आंदोलन सबसे प्रमुख है। जिन क्षेत्रों में यह संघर्ष मजबूत था, वहां किसानों के तबके पर इसका प्रभाव अभी भी काफी स्पष्ट है। यह संघर्ष ही है जिन्होंने फासीवादी ताकतों के खिलाफ बड़े प्रहार किए हैं और करेगें। शासक वर्गों के हमलों के खिलाफ संघर्ष में लोगों की एकता उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। संघर्ष में मेहनतकश लोगों की एकता फासीवादी ताकतों के खिलाफ सबसे बड़ी सुरक्षा है।

लेकिन जनता की समस्याएं शासकों के लिए तभी चुनौती बनती है, जब उन्हें जन आंदोलन में बदल दिया जाता है, जनता के उभार में बदल दिया जाता है। अन्यथा ये शासक वर्ग के परजीवी जनता की समस्याओं पर पलते हैं, उनका फायदा उठाते हैं, ऐसे समाधानों की वकालत करते हैं और उन्हें लागू करते हैं, जो उनकी स्थिति को और खराब करते हैं, और उनका ध्यान उनके वास्तविक शत्रुओं से हटाकर काल्पनिक शत्रुओं की ओर मोड़ देते है, उन्हें आपस में लड़ाते हैं और उनके उत्पीड़न और शोषण को बढ़ाते हैं। इसके अलावा वे शोषण और उत्पीड़न में इस वृद्धि को लोगों के अपने हितों के रूप में चित्रित करते हैं, जबकि यह कॉरपोरेट और ग्रामीण अभिजात वर्ग के हितों की पूर्ति करता है।

हम चुनावों में फासीवादी ताकतों–आरएसएस–भाजपा और उनके सहयोगियों की हार का आह्वान कर रहे हैं, हमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि यह जनता के संघर्ष ही हैं, जो वास्तव में उन्हें रोकेंगे और हराएंगे। और इन संघर्षों को खड़ा करने के लिए हमें संकीर्णतावाद और पुछल्लावाद दोनों को त्यागना होगा, लोगों को लामबंद करने की पहल करनी होगी और लोगों को संघर्ष में लाने के लिए संयुक्त कार्यवाही करनी होगी। फासीवादी ताकतों और शासक वर्गों के खिलाफ लोगों की एकता ही हमारा मुख्य उद्देश्य है, बाकी सभी उस उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता करने के उपाय हैं। क्रांतिकारी कम्युनिस्ट सबसे अधिक सतत फासीवाद विरोधी हैं और इसलिए फासीवादी ताकतों के खिलाफ संघर्ष में उन सभी लोगों को संगठित करने के लिए, जिन्हें एकताबद्ध किया जा सकता है, अग्रणी भूमिका निभाते हैं।

फासीवादी ताकतों के खिलाफ संघर्ष शासक वर्गों के सबसे प्रतिक्रियावादी हिस्से के खिलाफ संघर्ष है, इसलिए यह शासक वर्गों के खिलाफ हमारे संघर्ष का हिस्सा है। इस संघर्ष का वर्तमान में यह रूप इसलिए है क्योंकि मौजूदा अधिकार भी खतरे में हैं। यह इस संघर्ष में हिस्सा ले रही विभिन्न ताकतों के हितों की एकरुपता नहीं है बल्कि फासीवाद का मुकाबला करने और उसे हराने का अंतर्निहित साझा उद्देश्य है।

(न्यू डेमोक्रेसी के अप्रैल 2024 अंक के सम्पादकीय का हिन्दी अनुवाद)

वैकोम संघर्ष के 100 वर्ष

"वे तर्क देते हैं कि अगर अछूत लोग मंदिर की ओर जाने वाली सड़कों से गुजरेंगे तो सड़कें अपवित्र हो जाएंगी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वह वैकोम के देवता या ब्राह्मण अछूतों की उपस्थिति मात्र से ही अपवित्र हो जाते हैं। अगर वे मानते हैं कि वैकोम का देवता अपवित्र हो जाएगा, तो वह देवता नहीं हो सकता। यह तो बस एक पत्थर है, जिसका इस्तेमाल सिर्फ गंदे कपड़े धोने के लिए किया जा सकता है।"– पेरियार

वैकोम संघर्ष 100 साल पहले 30 मार्च 1924 को हुआ था। तीन स्वयंसेवक जिनमें से प्रत्येक तीन अलग–अलग जातियां से थे– एक नायर, एक एझावा और एक पुलायु जाति से संबंधित थे। खादी के कपड़े पहने और गले में माला लटकाए इन लोगों ने तत्कालीन त्रावणकोर राज्य के वैकोम मंदिर की ओर जाने वाली सड़क में प्रवेश करने का प्रयास किया। हजारों लोगों की भीड़ ने भी उनका उनका अनुसरण किया। पुलिस ने स्वयंसेवकों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए तुरंत गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद 10 अप्रैल 1924 तक हर अगले दिन इसी तरह के प्रयास किए गए। यह संघर्ष लंबे समय तक अलग अलग रूपों में जारी रहा। यह स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आंदोलन का एक ऐतिहासिक संघर्ष था, जो, 23 नवंबर 1925 तक, 600 दिनों से भी अधिक समय तक, जारी रहा। अब उस ऐतिहासिक संघर्ष को शतवार्षिकी का समय याद करना प्रासंगिक है।

1920 के दशक के दौरान कुछ लोगों का मानना था कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म पर एक धब्बा है और वह अस्पृश्यता के उन्मूलन के साथ इसे शुद्ध कर सकते हैं, जिससे सभी को समान रूप से इसमें शामिल होने का मार्ग प्रशस्त होगा। केरल में 5000 एझावाओं की एक सामुदायिक बैठक में हिंदू मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की गई। कांग्रेस नेता और श्री नारायण गुरु के निकट सहयोगी टीके माधवन ने मंदिर प्रवेश के मुद्दे को राष्ट्रीय मंच पर उठाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1923 में हुए काकीनाडा अधिवेशन में एक प्रस्ताव पेश किया गया। प्रस्ताव में घोषणा की गई कि "मंदिर में प्रवेश सभी हिंदुओं का जन्म सिद्ध अधिकार है" और इसमें अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए काम करने का आह्वान किया। कांग्रेस ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। केरल के एक अन्य कांग्रेस नेता के. केलप्पन ने जनवरी 1924 में तत्कालीन केरल समिति के भीतर एक अस्पृश्यता विरोधी समिति का गठन किया और उसकी बैठक बुलाई जिसमें उन्होंने वैकोम मंदिर के आसपास की सड़कों का उपयोग करने के लिए एझावा और अन्य निचली जातियों के अधिकार के लिए लड़ने का फैसला किया।

ईवी रामासामी नाइकर उर्फ "पेरियार" जो मद्रास प्रेसीडेंसी कांग्रेस समिति के तत्कालीन अध्यक्ष थे, को वैकोम संघर्ष में शामिल होने के लिए शुरु में ही आमंत्रित किया गया था। सभी स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और पेरियार को वैकोम संघर्ष का नेतृत्व करने के लिए एक और निमंत्रण मिला। उन्हें गांधी के निकट सहयोगी और यंग इंडिया के संपादक जॉर्ज जोसेफ से एक पत्र मिला। संघर्ष में पेरियार के शामिल होने से वैकोम आंदोलन को बढ़ावा मिला। उन्होंने आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 141 दिनों तक आंदोलन में भाग लिया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 74 दिनों तक जेल में रखा गया। आंदोलन के लिए जन समर्थन जुटाने के लिए पेरियार ने 67 दिनों तक पूरे केरल का दौरा किया। अपने भाषणों में उन्होंने कहा कि वह मंदिर में देवता को नहीं देखना चाहते बल्कि वे उन सड़कों का उपयोग करना चाहते हैं जहां सूअर और कुत्ते खुले आम घूमते हैं। इन शब्दों ने लोगों को उद्वेलित किया और संघर्ष को व्यापक जन समर्थन मिला।

यह संघर्ष 600 दिनों से अधिक समय तक चला और एक समझौते के साथ समाप्त हुआ। निचली जातियों को मंदिर के चारों ओर तीन नई निर्मित सड़कों में प्रवेश की अनुमति दी गई। इन सड़कों का निर्माण इस तरह से किया गया था कि वह मंदिर के परिवेश से दूर रहें। मंदिर की चौथी तरफ को अभी भी निचली जातियों के लिए वर्जित रखा गया था।

वैकोम आंदोलन ने केरल में कई अन्य संघर्षों का मार्ग प्रशस्त किया। गांधीजी के रवैये और भूमिका ने लोगों में मोहभंग पैदा किया। शुरूआत में गांधी ने इसे सिर्फ हिंदुओं से संबंधित मुद्दे के रूप में देखा। जॉर्ज जोसेफ जो गांधी के करीबी और सहयोगी भी थे और जो शुरुआत से ही वैकोम आंदोलन में शामिल थे, गांधीजी ने उन्हें दूर रहने को कहा, वह एक सीरियाई इसाई थे। इसी तरह गांधी ने पंजाब से आए अकालियों के एक समूह को भी वापस भेजने का फैसला किया जो वैकोम आंदोलनकारियों के लिए लंगर लगा कर उन्हें मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने आये थे। पेरियार गांधी के फैसलों से असहमत थे और बाद में उन्होंने कांग्रेस से खुद को अलग कर लिया। बी.आर. अंबेडकर ने वैकोम संघर्ष की प्रेरणा का हवाला देते हुए 1927 में महाड़ सत्याग्रह शुरू किया जिसमें महाराष्ट्र में एक सार्वजनिक तालाब के पानी का उपयोग करने के लिए "अछूतों" के अधिकार का दावा किया गया। इसके बाद पेरियार और अंबेडकर ने इसे हिंदू मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग से परे एक मुद्दा माना। दूसरी और गांधीजी मंदिर प्रवेश के सवाल को अस्पृश्यता को मिटाने का साधन मानते थे। बी.आर. अंबेडकर स्पष्ट रूप से तर्क दिया कि "यदि हिंदू" धर्म को सामाजिक समानता का धर्म बनना है, तो मंदिर में प्रवेश प्रदान करने के लिए इसके कोड में संशोधन करना पर्याप्त नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि इसे चतुर्वर्ण के सिद्धांतों से मुक्त किया जाए। यही सभी असमानताओं का मूल कारण है और जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता का जनक भी है, जो असमानता के ही रूप हैं। जब तक ऐसा नहीं किया जाता, न केवल दलित वर्ग मंदिर में प्रवेश को अस्वीकार कर देंगे, बल्कि वह हिंदू धर्म को भी अस्वीकार कर देंगे।"

भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान विभिन्न रुझान और मतभेद थे। मतभेद उपनिवेशवाद के प्रति दृष्टिकोण, अपनाए जाने वाले संघर्षों के स्वरूपों से संबंधित थे। अंबेडकर जैसे लोगों ने सामाजिक समानता और दलितों के अधिकारों का सवाल उठाया।

एस.के.

वैकोम संघर्ष ने राष्ट्रीय आंदोलन में प्रचलित विभिन्न प्रवृत्तियों और दृष्टिकोणों को प्रतिबिंबित किया। राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व ने सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय के सवाल को दरकिनार करने का प्रयास किया इससे राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करने वाले वर्ग की प्रकृति और सीमाओं भी स्पष्ट रूप से उजागर हो गईं। इससे राष्ट्रीय आंदोलन में फूट पैदा हो गई, जहां सामाजिक न्याय की आकांक्षाओं और उनकी मांगों की अभिव्यक्ति को अक्सर कांग्रेस के नेतृत्व से टकराव का सामना करना पड़ा और उन्होंने एक अलग राह पकड़ ली।

अब 100 वर्ष बीत चुके हैं। बदलाव हुए हैं और फिर भी ऐसी चीजें हैं जो ज्यादा नहीं बदली हैं। हम अभी भी देश के विभिन्न हिस्सों में जुलूसों में हिस्सेदारी में भेदभाव और मंदिरों में प्रवेश के उनके अधिकार के सवाल उठाने वाले निचली जातियों के संघर्षों की खबरें पढ़ते हैं। 1928 में एम.के. आचार्य जैसे सांसद थे जो बाल विवाह के समर्थन में बहुत मुखर थे। उन्होंने खुले तौर पर कहा कि "बाल विवाह को खत्म करने से शुद्धता खत्म हो जाएगी। अगर महिलाओं की शादी बचपन में नहीं की गई तो वे बर्बाद हो जाएंगी।" अब भी हम इसी तरह के बेशर्मी से भरे अश्लीलता फैलाने वाले ऐसे ही तर्क सुनते हैं।

गांधीजी के एक सहयोगी महादेव देसाई ने वैकोम मंदिर के तत्कालीन मुख्य ट्रस्टी रूढ़िवादी देवन नील कंदन नंबूदरी के बीच हुई बातचीत को रिकॉर्ड किया था जिन्होंने निचली जातियों के मंदिर प्रवेश का सख्ती से विरोध किया था। वास्तव में उन्होंने गांधी से उनके घर के अंदर मिलने से इनकार कर दिया और उनका अपमान किया। जब निचली जातियों के साथ किए जाने वाले कठोर व्यवहार के बारे में पूछा गया तो नंबूदरी ने जवाब दिया कि "एझावा और पुलाया केवल अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं और यह उनके पिछले जन्म में उनके (बुरे) व्यवहार के कारण ही उन्हें इतने निचले स्तर पर स्थान मिला।" उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जिस प्रथा का उन्होंने और उनकी जाति के लोगों ने पालन किया वह आदि शंकराचार्य द्वारा शुरू की गई थी और "निश्चित रूप से अस्पृश्यता भारत के हर हिस्से में है। हम छुवाछूत को थोड़ा और आगे ले जाते हैं, बस इतना ही है।" इन दिनों हम इसी तरह की आवाजें, दलीलें और अंधराष्ट्रवादी दावे अधिक जोरदार तरीके से सुन रहे हैं, जिन्हें सत्ता में मौजूद हिंदुत्ववादी ताकतों ने और भी बढ़ावा दिया है। हम वैकोम संघर्ष की (आंशिक) सफलता या विफलताओं पर बहस कर सकते हैं। हम उन मुद्दों पर आगे बहस कर सकते हैं, जो उस समय नहीं उठाए गए या स्पष्ट नहीं किए गए और ऐतिहासिक संदर्भ में इसकी सीमाएं थीं। फिर भी, वैकोम संघर्ष इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने सामाजिक समानता के सवाल को राजनीतिक संघर्ष के दायरे में ला दिया है और यह वह महत्व है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

सीपीआई (एमएल)–न्यू डेमोक्रेसी की अखिल भारतीय पार्टी कांग्रेस

(पृष्ठ 1 का शेष)

के खिलाफ हिंसा और जम्मू–कश्मीर के लोगों के सैन्य दमन की निंदा की और लद्दाख को छठी अनुसूची के तहत लाने और मणिपुर में कुकी क्षेत्रों में स्व–प्रशासन की मांग की। पार्टी कांग्रेस ने मुसलमानों के पूजा स्थलों और शिक्षा स्थलों पर हमलों तथा शांति समितियों को अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने का औजार बनाने की निंदा की, समान नागरिक संहिता लागू करने का विरोध किया और निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग करते हुए जाति के आधार पर भेदभाव की निंदा की। कांग्रेस ने सरकारी धन से धार्मिक स्थलों के निर्माण का विरोध किया और यदि ऐसा किया जाता है तो उनमें आरक्षण अमल करने की मांग की। कांग्रेस ने 4 श्रम कोड वापस लेने की मांग की, श्रमिकों के संघर्षों पर दमन की निंदा की और सार्वजनिक उद्योगों के निजीकरण का विरोध करते हुए सेल और विशाखा स्टील प्लांट के निजीकरण के प्रयासों को रोकने की मांग की। कांग्रेस ने नए वन संरक्षण अधिनियम और वन संरक्षण नियम 2022 के माध्यम से आदिवासियों पर हमलों की निंदा की। कांग्रेस ने सरकार पीछे के रास्ते से कारपोरेट पक्षधर कृषि कानूनों को लाने के प्रयासों की निंदा की और एमएसपी तथा कर्जमाफी के लिए किसानों के संघर्ष का समर्थन किया तथा मांग की कि लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को गिरफ्तार किया जाए। भूमि स्वामित्व अधिनियम को निरस्त करने की भी मांग की गई। पार्टी कांग्रेस ने संघवाद पर हमलों की निंदा की जैसा कि बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में विस्तार, जिलों में एनआईए कार्यालय खोलना, केंद्र सरकार द्वारा बांधों का नियंत्रण अपने हाथ में लेना, द्वारा किया जा रहा है। पार्टी कांग्रेस ने छोटे व्यवसायों पर हमले और जीएसटी थोपे जाने की निंदा की। पार्टी कांग्रेस ने नई शिक्षा नीति को रद्द करने की मांग की और छात्रों और शिक्षकों के संघर्ष को समर्थन दिया।

अंत में महासचिव के सम्बोधन के साथ पार्टी कतारों का भारत में नवजनवादी क्रांति के लिए समर्पित होने और जनता के संघर्षों में ज्यादा घनिष्ठ रूप से जुड़ने तथा क्रांतिकारी संघर्षों को तेज करने का संकल्प दोहराया गया। अखिल भारतीय पार्टी कांग्रेस प्रतिनिधियों के बीच भारी उत्साह के बीच इंटरनेशनल गान के साथ संपन्न हुई।

(सीपीआई (एमएल)–न्यू डेमोक्रेसी की केंद्रीय कमेटी द्वारा 27 अप्रैल 2024 को जारी)

भारत के श्रमिक वर्ग की

(यह अध्ययन न्यू डेमोक्रेसी की एक टीम द्वारा किया गया था। हम यहां उसके अनुवाद का पहला अंश प्रकाशित कर रहे हैं। – संपादक)

परिचय :

2020 के दशक में भारत के श्रमिक वर्ग की रूपरेखा और स्थिति 1978 की तुलना में बहुत अलग है, जब क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन केंद्र इफ्टू की स्थापना की गई थी और इसका स्थापना सम्मेलन गुवाहाटी में आयोजित किया गया था।

तब रोजगार मुख्य रूप से नियमित स्थायी प्रकृति का होता था – सार्वजनिक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र (सरकारी कर्मचारी, रेलवे, डाक व संचार, बंदरगाह और घाट कर्मचारी) और निजी क्षेत्र में बड़े दलाल घरों के बड़े उद्यमों एवं एमएसएमई की बड़ी और मध्यम इकाइयों में भी।

व्यवहार में सुधारवादी ट्रेड यूनियन केंद्रों ने श्रमिक वर्ग के विश्व दृष्टिकोण को विधिवाद और अर्थवाद सीमित करने में प्रतिक्रियावादी ट्रेड यूनियन केंद्रों का अनुकरण किया। वे पहले से ही जुझारु संघर्षों से पीछे हट रहे थे।

सुधारवादी केंद्रों के तहत संगठित श्रमिक वर्ग को या उनसे जुड़े संशोधनवादी दलों का अनुसरण करने वाल मजदूरों का विश्व दृष्टिकोण या नजरिया यथास्थिति (यानि व्यवस्था के भीतर) में बदलाव की मांग तक ही सीमित था। काम के क्रम में अपने आधार पर पकड़ बनाए रखने के लिए सुधारवादी ट्रेड यूनियनों ने कुछ जुझारु आंदोलन भी किए थे, लेकिन क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन केंद्र के गठन के समय ऐसे संघर्ष उनकी मुख्य प्रवृत्ति नहीं थे।

टीम द्वारा लिया गया कार्य आज 40 से अधिक वर्ष बाद भारत के श्रमिक वर्ग की रूपरेखा का वर्णन और आंकड़ों से उसके समर्थन का प्रयास है, लेकिन व्यवहार में भारत के श्रमिक वर्ग में 80 के दशक बाद धीरे धीरे हुए परिवर्तनों का वर्णन किया जा रहा है।

प्रमुख विभाजन रेखा 1980 के दशक में रखी जानी चाहिए, जिससे नवउदारवादी 'नई आर्थिक नीतियां' शुरू हुईं। यह उनका कार्यान्वयन है, जिसका भारत के श्रमिक वर्ग ने अलग–अलग हद तक विरोध किया। इसने आज के श्रमिक वर्ग को आकार दिया और इस प्रकार उसके विशिष्ट कार्यों को भी आकार दिया है।

श्रमिक वर्ग में परिवर्तन की पृष्ठभूमि – प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय विशेषताएँ

1981 में भारत ने आईएमएफ ऋण की पहली किश्त ली। पृष्ठभूमि में था समाजवादी चीन का पतन, सोवियत सामाजिक साम्राज्यवाद का भीतरी संकट, जो अंततः उसके विघटन का कारण बना और पश्चिमी साम्राज्यवाद का आक्रामक विस्तार। इस ऋण के साथ जुड़ी 'स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट', की शर्तों के पालन में, कम्प्यूटरीकरण के नाम पर छँटनी शुरू हो गई और सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यबल को कम करने के लिए कुछ कदम उठाए गए। 1991 में सोवियत सामाजिक साम्राज्यवाद के पतन के साथ, अमेरिकी साम्राज्यवाद के नेतृत्व में पश्चिमी साम्राज्यवादी नवउदारवादी विश्व व्यवस्था को लागू करने के लिए और अधिक निर्णायक रूप से आगे बढ़े – एक ओर, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम(एसएपी) व एलपीजी जैसे नुस्खों को विश्व बैंक व आईएमएफ से ऋण लेने के लिए आगे बढ़ाते हुए और दूसरी ओर, विश्व व्यापार की ऐसी व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए जिससे पूंजी की मुक्त आवाजाही संभव हो और उनके द्वारा अधिकतम लाभ कमाया जा सके। सभी क्षेत्रों को खोलने से अति–लाभ बढ़ेगा।

भारत के शासक वर्गों ने 1971 के युद्ध के बाद और 1982 के एशियाई खेलों से पहले की अवधि में पश्चिमी ऋणदाता संस्थाओं से आईएमएफ ऋण की पहली किश्त ली। 1986 में एशियाई विकास बैंक से भी ऋण लिया गया। लेकिन जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे तब एलपीजी के दृष्टिकोण को लागू करने के लिए 'नई आर्थिक नीति' लाई गई। इन 'नई' नीतियों को दो चरणों में लागू किया जाना था, दूसरे में वित्तीय क्षेत्र व सभी सेवाओं को खोलना शामिल था।

भारत के शासक वर्ग में नई आर्थिक नीतियों (एनईपी) के कार्यान्वयन पर सहमति है, हालाँकि, गति, सीमा, क्या समवर्ती कल्याण उपाय सबसे गरीब वर्गों को दिए जाने चाहिए ताकि संभावित असंतोष और अन्य पहलुओं से 'निबटा' जा सके, इन बातों पर मतभेद हैं। जनता की जवाबी लड़ाई भी इन पार्टियों की स्थिति और सरकारों की क्षमताओं को प्रभावित करती है। इस प्रकार जबकि नीतियों का जोर वन भूमि को कॉरपोरेट को सौंपने पर था, यूपीए सरकार को जवाबी लड़ाई के कारण भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को लागू करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

दुनिया भर में साम्राज्यवाद द्वारा दिये जा रहे जोर और भारत के शासक वर्गों द्वारा लागू की जा रही एलपीजी नीतियों के अनुरूप, श्रमिक वर्ग के कानूनी अधिकारों को छीनने, सभी नौकरियों को अनियमितता की ओर धकेलने, मजदूरी कम करने, यूनियन बनाने, विरोध करने व हड़ताल करने का अधिकार छीन लेने की ओर लगातार कदम बढ़ाए जा रहे हैं ताकि अति–लाभ और बढ़ाया जा सके। यह भी सच है कि भारत के मजदूर वर्ग पर ये हमले दुनिया भर में मजदूर वर्ग पर बढ़ते हमलों का हिस्सा हैं। कुल मिलाकर यह हमला तिहरा है :

1. सभी तत्कालीन समाजवादी देशों में पूंजीवाद की बहाली के कारण अपने विश्व दृष्टिकोण पर पहले से ही रक्षात्मक स्थिति में आए श्रमिक वर्ग को समाजवादी केंद्रों के पतन के कारण वैचारिक निरस्त्रीकरण करने का हमला।

2. वेतन व नौकरी के स्थायित्व पर हमला।

3. सोवियत संघ के गठन के बाद श्रमिक वर्ग को मिली सामाजिक सुरक्षा पर हमला।

मजदूर वर्ग के क्षेत्र में पिछले 35 वर्षों में हुए बदलावों के विवरण में क्रांतिकारी और जुझारू श्रमिक संगठनों की भूमिका का भी मूल्यांकन जरूरी है। एक बड़े असंगठित कार्यबल और प्रतिक्रियावादी व सुधारवादी संगठनों से श्रमिकों के मोहभंग के बावजूद क्रांतिकारी श्रमिक संगठन आंदोलन न तो डी–यूनियनाइजेशन की प्रवृत्ति को उलटने की चुनौती का सामना कर सका, न ही असंगठित श्रमिकों को बड़े पैमाने पर संगठित कर सका और न ही मजदूरों के बड़े हिस्सों के बड़े व्यापक आंदोलनों का निर्माण कर सका। इसका संबंध मुख्य रूप से बल देने की कमजोरी, दृष्टि और क्षमता वाले काडर के खराब आवंटन, वर्ग के प्रति समर्पण के साथ बलिदान और कार्यकर्ताओं के बीच रहने और संगठित करने की इच्छा की भावना में कमजोरी से है। अपेक्षाकृत छोटे क्रांतिकारी ट्रेड आंदोलन में विभाजन ने भी इसमें योगदान दिया।

इसके अतिरिक्त, अपनी अपेक्षाकृत बेहतर ताकत के बावजूद सुधारवादी और प्रतिक्रियावादी यूनियनों ने श्रमिकों को नए हमलों के खिलाफ लड़ने के लिए संगठित नहीं किया। सुधारवादियों ने सुनिश्चित किया कि श्रमिक वर्ग की 'नई' आर्थिक नीतियों के खिलाफ लड़ाई समग्र रूप से प्रतीकात्मक रहे क्योंकि संशोधन–वादी भी नई आर्थिक नीतियों की दिशा से सहमत हैं। इस प्रकार श्रमिक वर्ग का दृष्टिकोण कुंठित हो गया और इसके कारण मुख्य रूप से रोजगार के स्थायित्व पर हमलों के खिलाफ पर्याप्त रूप से लड़ने में विफलता मिली । श्रमिक वर्ग के अवरुद्ध विश्व दृष्टिकोण ने यह सुनिश्चित किया कि जब ठेका (संविदा) कार्यबल को सरकार और पीएसयू क्षेत्रों आदि में नियोजित किया जाने लगा तब संगठित कार्यबल ने इस हिस्से को अपनी यूनियनों में शामिल नहीं किया यानी वर्ग दृष्टिकोण के क्षरण के स्वाभाविक परिणाम हुए।

बिंदुओं पर प्रकाश डालने और यादें ताजा करने के लिए केवल कुछ पहलुओं को दर्ज किया जा रहा है। 1990 के दशक की शुरुआत में जब शासक वर्गों को एहसास हुआ कि नियमित कार्यबल को कम करने के लिए स्थायी श्रमिकों को जबरन निकालने से प्रतिक्रिया होगी तो सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मियों को वीआरएस की पेशकश की गई। उन वर्षों के हमारे मुखपत्र में हमने एक सुधारवादी यूनियन के समाचार पत्र को उद्धृत किया था, जिसने वीआरएस नीति पर आपत्ति जताने के लिए क्रांतिकारियों का मजाक उड़ाया था "जबकि कर्मचारी हँसते हुए बैंक तक जा रहे थे"। तथापि क्रांतिकारी और जुझारु यूनियनों ने इस प्रक्रिया को चुनौती देने के लिए अपना जनाधार पर्याप्त रूप से विकसित नहीं किया। जब मौजूदा नौकरियों में लगे लोगों को हटाए बिना धीमी गति से ठेकेदारीकरण शुरू हुआ तो मौजूदा यूनियनों में अस्थायी श्रमिकों की बढ़ती संख्या को संगठित नहीं किया गया और उनके लिए भी अधिकारों की मांग नहीं की गई। चूंकि पिछले कुछ वर्षों में सरकारी, सार्वजनिक उपक्रमों और बड़े निजी क्षेत्रों में सभी स्थायी भर्तियाँ खत्म हो गई हैं, इस कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा अस्थायी है, स्थायी कार्यबल से अलग है और काफी हद तक असंगठित है। सरकारी कर्मचारियों में डी श्रेणी को समाप्त कर दिया गया है, सी श्रेणी में सभी अस्थायी कर्मचारी हैं, और ए और बी पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति, पार्श्व नियुक्तियों आदि का उपयोग करके अब हमले शुरू हो गए हैं।

क्रांतिकारी व जुझारु ट्रेड यूनियन केंद्र समग्र रूप से छोटे हैं। यह एक विभाजित शक्ति है, लेकिन फिर भी भारत के श्रमिक वर्ग के लिए आशा का स्रोत बनी हुई है। हालाँकि, इस बात का सामना करना होगा कि 40 से अधिक वर्षों के अस्तित्व के बावजूद यह हमलों के खिलाफ ठोस लड़ाई का केंद्र प्रदान करने के लिए भारत के श्रमिक वर्ग की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम नहीं रही।

कुछ अन्य परिवर्तनों पर टिप्पणियां

(1) जबकि पिछले 35 वर्षों में, साम्राज्यवादी देशों ने औद्योगिक उत्पादन को विकासशील देशों में हसतांतरित कर दिया है, भारत में बड़े पैमाने पर वे सीधे उत्पादन क्षेत्र में नहीं हैं। वे परिधान, ऑटोमोबाइल, कुछ हद तक सीमेंट और आईटी क्षेत्र में मौजूद हैं। भारत में दलाल कॉरपोरेट और सरकार अप्रत्यक्ष नियोक्ता होते हुए भी स्वयं प्रमुख हैं।

(2) हालांकि इतने वर्षों में कार्यबल की संख्या में कुछ वृद्धि हुई है, एक विशेषता श्रमिक वर्ग की संख्या का संगठित से हटकर असंगठित क्षेत्रों में स्थानांतरित होना है, और दूसरी संगठित कार्यबल में गिरावट है हालांकि समग्र यूनियनाइजेशन कभी भी बहुत अधिक नहीं था।

(3) अस्थायी श्रमिकों को नए नाम देकर और अधिकारों को खत्म कर किए जा रहे काम के अनौपचारिकीकरण के कारण नए क्षेत्र सामने आए हैं (उदाहरण के लिए 'गिग' श्रमिक वही करते हैं जो नियमित कर्मचारी पहले करते थे, या ''आशा' ने नियमित एमसीएच सेवाओं का स्थान ले लिया है)।

(4) पूर्ववती यूनियनों, जिन्होंने अधिकारों की रक्षा नहीं की या नहीं कर पाए, से पूर्व संगठित श्रमिकों की निराशा, जुझारु यूनियनों की इस जरुरत को पूरा करने में विफलता और सुधारवादी यूनियनों द्वारा श्रमिकों के इस प्रचार से कि संघर्ष व्यर्थ और निष्फल हैं हताश करने के लिए संघर्ष को सावधानी से प्रतीकात्मक बनाए रखने के कारण (4 श्रम संहिताओं के खिलाफ लड़ाई का उदाहरण देखें) डी–यूनियनाइजेशन की ओर रुझान मजबूत हुआ। दूसरा पहलू यह है कि अगर अस्थायी कर्मचारी यूनियन बनाने जाते हैं तो उन्हें आसानी से बर्खास्त कर दिया जाता है, जबकि श्रम कानून कार्यान्वयन मशीनरी सक्रिय रूप से उनके कानूनी अधिकारों को लागू नहीं कराती है। इस प्रकार, वास्तव में भारत के श्रमिक वर्ग का बहुत छोटा प्रतिशत संगठित है। प्रमुख टीयू केंद्रों द्वारा प्रस्तुत यूनियना–इजेशन के आंकड़ों में वृद्धि इसलिए है क्योंकि उनमें मनरेगा और खेतिहर मजदूर शामिल हैं।

(5) भारत में बेरोजगारों की एक सेना है, 'आरक्षित श्रम बल' जो अपना श्रम बेचने वालों की मोलभाव की शक्ति को कम रखने में मदद करता है।

(6) एसईजेड क्षेत्र – वे क्षेत्र जहां श्रम कानून लागू नहीं होता – इसी अवधि में पैदा हुए थे और उनका वर्णन किया गया है।

(7) औद्योगिक उत्पादन का विखंडन इस अवधि की एक विशेषता है और पिछले कुछ वर्षों में इसमें तेजी आई है –

वर्तमान रूपरेखा – 1

उदाहरण के लिए ऑटोमोबाइल (मुख्य संयंत्र और सहायक खंड) और अन्य क्षेत्रों में भी। कपड़ा क्षेत्र, जिसमें विशाल कार्यबल कार्यरत था, छोटी इकाइयों में बिजली करघों में बिखर गया है जबकि कपड़ा उद्योग का विस्तार हुआ है।

(8) कालीन, पटाखा उत्पादन, बीड़ी और सिगार उद्योगों में बाल श्रम को आधिकारिक तौर पर ज्यादातर वयस्क श्रमिकों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। तथापि बाल श्रम असंगठित क्षेत्र में फलता–फूलता है। पारिवारिक उद्यमों में मदद के नाम पर मोदी सरकार द्वारा अधिनियम में किए गए संशोधन बाल श्रम शोषण को बढ़ावा देते हैं।

इस प्रस्तावना के निष्कर्ष में यह बात ध्यान में रखनी आवश्यक है:

क) श्रमिकों का जो वर्ग माल का वास्तविक उत्पादन करता है, वे विनिर्माण क्षेत्र के श्रमिक हैं (जिसका अर्थ सार्वजनिक उपक्रमों और बड़ी निजी क्षेत्र की कंपनियों में ठेका कार्यबल से भी है)।

(बी) ट्रेड यूनियनों के समक्ष कार्य भारत के कार्यबल के विशाल वर्गों को एकजुट करने का है।

मजदूर वर्ग की वर्तमान स्थिति

कुछ क्षेत्रों के विवरण के साथ कुछ सामान्य तथ्य दर्ज किये जा रहे हैं। इस आंकड़ों में और जोड़ा जा सकता है, इन्हें परिष्कृत किया जा सकता है लेकिन रुझान वही हैं जो अब तक मोटे तौर पर पहचाने गए हैं। वास्तविक आंकड़ों की सरसरी जांच से पता चलता है कि वे काफी कमजोर हैं, लेकिन रुझान सही होंगे। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि डेटा संग्रह के पुराने तरीके बदल गए हैं, और अब ऑनलाइन आंकड़े पेश करने वाले कई स्रोत हैं, लेकिन ज्यादातर को सत्यापित करना मुश्किल है। इनमें आंकड़े एकत्र करने वाली निजी एजेंसियों के हित भी झलकते हैं।

आरबीआई प्रकाशन से आंकड़े:

– 1970–80 के वित्तीय वर्षों में उद्योगों ने सकल घरेलू उत्पाद में 28.7% और सेवाओं ने 52.7% का योगदान दिया।

– 1990–2000 वित्तीय वर्षों में उद्योगों ने सकल घरेलू उत्पाद में 27.6% सेवाओं ने 57.6% का योगदान दिया।

– वित्त वर्ष 2019 (महामारी से पूर्व का आखिरी वर्ष) में आंकड़े 24.18% और 59.14% हैं।

सीएमआईई (सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी) के अनुसार अप्रैल 2022 में भारत में श्रम बल (कृषि व गैर–कृषि) – 43.72 करोड़ था।

– 2020 में भारत का कुल श्रम बल 50.1 करोड़ था।

– 2011 की जनगणना के अनुसार, कुल कार्यबल 47.4 करोड़ था, इसमें से 21.1 करोड़ गैर–कृषि में थे।

– 94% कार्यबल असंगठित क्षेत्र का है।

– असंगठित क्षेत्र का आधा हिस्सा बेरोजगार है।

– 1971 की जनगणना में कुल गैर–कृषि कार्यबल – 189,000,000

– 1981 की जनगणना में कुल गैर–कृषि कार्यबल – 224,604,000

इस लेख में शब्दावली का उपयोग :

औपचारिक रोजगार : ऐसा रोजगार जहां कर्मचारी के पास एक लिखित अनुबंध होता है (जिसे 'वेतन के साथ स्थापित कामकाजी अनुबंध के तहत काम पर रखा गया' भी कहा जाता है), उसे सवेतन छुट्टी दी जाती है और एक लाइसेंस प्राप्त संगठन में सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच होती है।

(विस्तार से कहा जाये तो – एक लाइसेंस प्राप्त संगठन में स्थापित कार्य अनुबंध, वेतन, स्वास्थ्य लाभ, परिभाषित कार्य घंटे और पूरे दिन के तहत काम पर रखा गया कर्मचारी है जो करों का भुगतान कर रहा है)।

अनौपचारिक कामगार वह है जो बिना किसी स्थापित समझौते के काम करता है।

संगठित क्षेत्र या प्रतिष्ठान वह है जो सरकार के साथ पंजीकृत है, जहां रोजगार की शर्तें नियमित हैं और जो कानूनों का 'पालन करता' है।

वैकल्पिक परिभाषा है जो सरकार के साथ पंजीकृत है, जिसके पास सुनिश्चित काम है और जो औपचारिक रोजगार प्रदान करता है।

असंगठित क्षेत्र वह है जो पंजीकृत नहीं है, रोजगार की शर्तों के संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों द्वारा शासित नहीं है।

कुछ सामान्य आंकड़े (निम्नलिखित में से अधिकांश ऑनलाइन साइटों से लिए गए हैं जिनका आमतौर पर हवाला दिया जाता है) जो प्रासंगिक हैं:

क) विश्व बैंक (विकास संकेतकों का संग्रह) के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में भारत में विनिर्माण क्षेत्र में तेजी से गिरावट आई है, जो 2016–17 में रोजगार का 30% और 2020–21 में सभी रोजगार का 21% था। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है और यह उच्च स्तर के तकनीकी विकास और स्थिर मांग दोनों को दर्शाता है।

ख) 2017–18 में गैर–कृषि क्षेत्र में नियमित वेतन/वेतनभोगी कर्मचारियों में से 71% के पास कोई लिखित अनुबंध नहीं था।

2004–05 में यह आंकड़ा 59% था।

इसी अवधि (2004–05 से 2017–18) में बिना भुगतान वाली छुट्टी वाले लोग 46% से बढ़कर 54% हो गए।

2017–18 में 49.6% के पास कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं थी।

ग) श्रमिकों की संख्या के आधार पर कारखानों के आकार के आंकड़ों से पता चलता है कि अधिकतर कारखानों में 0 – 14 कर्मचारी थे।

10% से कम कारखानों में 100 – 199 कर्मचारी थे।

81% कारखानों में 100 से कम कर्मचारी कार्यरत थे।

यह सारा डेटा रखने के बाद, पूर्ण आंकड़ों को लेकर संदेह बना रहना चाहिए। दिल्ली में कई निजी औद्योगिक क्षेत्र हैं (आधिकारिक तौर पर अब 29– छोटे और बड़े) जहां बड़े पैमाने पर विनिर्माण इकाइयाँ हुआ करती थीं, हालाँकि अब यह बदल गया है। दिल्ली के मुख्य कारखाना निरीक्षक का कहना है कि सरकार के आखिरी आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में 8,000 इकाइयां हैं और श्रमिकों की अनुमानित संख्या का कोई आंकड़ा नहीं है।

उद्योग के 8 'मुख्य क्षेत्र' जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईपीपी) में 40.27 % योगदान करते हैं और औद्योगिक गतिविधि के प्रमुख संकेतक हैं:

1. कोयला 2. कच्चा तेल 3. प्राकृतिक गैस 4. रिफाइनिंग 5. उर्वरक 6. स्टील 7. सीमेंट 8. बिजली

इकोनॉमिक टाइम्स (ऑनलाइन दिसंबर 2021) के अनुसार, दिसंबर 2021 में भारत में औपचारिक क्षेत्र में रोजगार 3.14 करोड़ था। अंतिम आंकड़ा जिससे इसकी तुलना की जा सके आर्थिक जनगणना 2013–14 का है जो यह संख्या 2.37 करोड़ बताता है। 'औपचारिक रोजगार' को 9 क्षेत्रों में गिना जाता है।

संगठित क्षेत्र के लिए श्रम ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर 2021 में (नवीनतम सर्वेक्षण)

क्षेत्र	श्रमिकों की संख्या लाखों में
विनिर्माण	125 लाख
शिक्षा	67 लाख
स्वास्थ्य	26 लाख
आईटी–बीपीओ	21 लाख
व्यापार	20 लाख
परिवहन	13 लाख
वित्तीय सेवाएँ	18 लाख
रेस्तरां–आतिथ्य	09 लाख
निर्माण	07 लाख

ये 306 लाख (3 करोड़ 6 लाख) कामगार हैं।

हालाँकि निर्माण को कृषि के बाद सबसे बड़ा ग्रामीण रोजगार माना जाता है, लेकिन संगठित क्षेत्र में ऐसा नहीं है। शिक्षा में औपचारिक रोजगार अधिक है क्योंकि शिक्षक वेतनमान पर हैं।

इकोनोमिक टाईम्स में आंकड़े (28 अप्रैल 2022)

औपचारिक रोजगार में 3.41 करोड़ श्रमिकों का वितरण

विनिर्माण	39.4%
शिक्षा	22.1%
आईटी–बीपीओ	11%
स्वास्थ्य	10.4%
व्यापार	5.3%
परिवहन	4.2%

(बाकी अन्य क्षेत्रों में)

श्रम ब्यूरो अक्टूबर 2021 के अनुसार, महिलाएँ संगठित रोजगार में एक तिहाई हैं।

संगठित क्षेत्र के कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी (%)

	2017	2021
विनिर्माण	18.7%	21.4%
निर्माण	15.3%	22.5%
व्यापार	18.2%	21.4%
परिवहन	11.4%	15%
शिक्षा	49%	44.1%
स्वास्थ्य	48.2%	40%
रेस्तरां आदि	15.6%	23.1%
आईटी–बीपीओ	31.3% – 31.8%	

विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिक वर्ग का एक अध्ययन

सरकार में मुख्य क्षेत्रों में अस्थायी रोजगार में वृद्धि हुई है। सभी नए नामित और/या उभरते क्षेत्रों में अस्थायी रोजगार ही मानक (स्टैंडर्ड) है।

'अस्थायी' रोजगार में ठेका/अनुबंधित/संविदा, अनियमित (कैजुअल), दैनिक वेतन, आउट सोर्स, स्वैच्छिक, मानद, गिग श्रमिक और ऐसी कोई अन्य नई श्रेणी शामिल है।

(आगे अगले अंक में)

लोकसभा चुनाव और आर.एस.एस.–भाजपा की साम्प्रदायिक विभाजन गहरा करने की कोशिशें

लोकसभा के चुनावों का प्रचार नरेन्द्र मोदी तथा आरएसएस–भाजपा नेताओं ने अपने 10 वर्षों के शासन की उपलब्धियों को गिनाने से शुरु किया था तथा ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की मानो इन चुनावों में उसकी भारी जीत सुनिश्चित है। उन्होंने अपने फर्जी आंकड़ों के बल पर यह भी प्रचारित किया कि उन्होंने 25 करोड़ देशवासियों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया है तथा बड़े पैमाने पर युवाओं को रोजगार दिलाया है। पर इन बेबुनियादी बातों का फर्जीवाड़ा जनता की जिन्दगी की तपती जमीन पर तार–तार हो रहा है।

अपने दावों की कलई खुलती देखकर मोदी तथा आरएसएस–भाजपा नेताओं ने साम्प्रदायिक विभाजन गहरा करने की अपनी परिचित तिकड़में तेज कर दीं। मोदी स्वयं विपक्षी के खिलाफ अनर्गल प्रचार का सहारा देने लगे। सहचर (क्रोनी) पूंजीपतियों के विरोध तथा गरीबों और पिछड़े समुदायों पर ध्यान देने के जोर के विपक्षी दलों के दावों की उन्होंने उपजाऊ कल्पना से हिन्दुओं से लेकर मुसलमानों को देने की व्याख्या कर डाली। विपक्ष विशेषकर कांग्रेस द्वारा मुसलमानों की मनौती की मिथ्या धारणा हिन्दुत्ववादी ताकतें के लम्बे समय से प्रचारित करती रही हैं, जबकि सभी आंकड़े मुसलमानों की खस्ता हालत बयान करते हैं।

आर.एस.एस.–भाजपा नेताओं द्वारा चुनावी हित में सत्ता के लिए साम्प्रदायिक विभाजन को गहरा करना उनकी परिचित तथा सोची समझी रणनीति रही है। इस क्रम में नरेन्द्र मोदी ने चुनावी सभा में पुश्तैनी सम्पत्ति को गाढ़ी कमाई बताते हुए विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे इसे छीनकर मुसलमानों को देना चाहते हैं और इस संदर्भ में वे मंगलसूत्र तक पहुँच गये। उनके इस तरह के बयान की व्यापक आलोचना भी हुई तथा यह बात आम तौर पर स्पष्ट हुई कि आर.एस.एस. –भाजपा इन चुनावों को अपनी सरकार

(शेष पृष्ठ 3 पर)

रोहतास (बिहार): भीषण अग्निकांड की भेंट चढ़े 5 महादलितों की मौत के लिए कौन जिम्मेदार?

रोहतास जिला, थाना व अंचल नोखा, पंचायत हथिनी, के ग्राम रोपहथा में महादलित दिनेश डोम का पूरा परिवार फूस व खपरैल के बने मकान में लगी आग की चपेट में आकर 27 अप्रैल 2024 को जलकर घर में ही मर गया। 27 अप्रैल 2024 को सुबह दिनेश डोम सफाई कर्मी के रूप में काम करने के लिए कहीं अन्यत्र चला गया। उसका शेष परिवार घर पर ही रहा। परिवार के सभी लोग खाना बनाया-खाकर चूल्हे की आग को बुझाकर बेतहाशा गर्मी व लू से बचने के लिए दरवाजा बंद कर अंदर सो गया। दिनेश के पूरे परिवार को रहने के लिए मात्र एक छोटा सा खपरैल का कमरा था, जिसके आगे उसने फूस का एक छप्पर डाल रखा था, जिसके नीचे खाना बनाने वाला चूल्हा भी था। दुर्भाग्यवश चूल्हे की आग को पूरी तरह बुझाया नहीं जा सका था। तेज पछुआ हवा के कारण चूल्हे में बुझाई गयी राख में दबी चिंगारियां उड़कर फूस के छप्पर को दिन करीब 11 बजे पकड़ लिया और वह धू-धू कर जलने लगा। लू और तेज धूप से बचने के लिए आस-पास के घरों के लोग अपने घरों में थे। दिनेश के घर से 3-4 फिट दूर उसके छोटे भाई सखन डोम के परिवार को भी इस हादसे की भनक न मिल सकी। जब फूस की छप्पर में लगी आग ने दिनेश के एक मात्र खपरैल के मकान को चारों तरफ से पकड़ लिया तो कमरे के अंदर फंसे लोगों का बाहर निकलना संभव नहीं हुआ और लोग चीखने-चिल्लाने लगे। तब आस-पास के घरों के लोग दौड़े और आग को बुझाने के लिए कोशिश की जाने लगी। खपरैल के कमरे में फंसे मंटू डोम पुत्र दिनेश डोम; सबिना खातून उम्र 20 वर्ष पत्नी मंटू डोम; ममता कुमारी उम्र 15 वर्ष पुत्री दिनेश डोम; किरन कुमारी उम्र 8 वर्ष पुत्री दिनेश डोम; भकोला कुमारी उम्र 2 वर्ष पुत्री मंटू डोम इस भीषण अग्निकांड की भेट चढ़ चुके थे। केवल जलने वालों में दिनेश डोम की पत्नी शिवबरती देवी जो बुरी तरह चल चुकी है, अस्पताल में जीवन की आखिरी सांसें गिन रही है। आज के साधन सम्पन्न समाज में दिल दहला देने वाली हृदय बिदारक एवं बेबसी की चरम पराकाष्ठा को दर्शाने वाली यह घटना राज्य की तथाकथित सामाजिक न्याय एवं सुशासन की दावेदार नितीश सरकार, उसके शासन तंत्र एवं मौजूदा व्यवस्था के ठेकेदारों से यह सवाल पूछ रही है कि रोपहथा अग्निकांड की भेंट चढ़े 5 महादलितों की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है?

27 अप्रैल 2024 को ही अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा की एक टीम का. सतीश प्रसाद के नेतृत्व में ग्राम रोपहथा पहुँची। उसने वहां मौजूद लोगों से अग्निकांड के कारणों के बारे में यह पता करने की कोशिश की कि महादलित जातियों में शामिल सबसे निचले पायदान की इस डोम जाति के दिनेश डोम एवं सखन डोम को अभी तक नितीश सरकार एवं उनके शासनतंत्र द्वारा इंदिरा आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत पक्का मकान क्यों नहीं मिला जब कि पिछले 7 - 8 साल से ग्राम प्रधान भी रोपहथा का ही है। पूछ-ताछ के क्रम में यह पता चला कि दिनेश डोम एवं सखन डोम सहित महादलित एवं दलित परिवार के कई लोगों का मकान सर्वसाधारण भूमि खाता संख्या 166, प्लाट न0 540 में बना हुआ है। विशेषकर दिनेश डोम एवं सखन डोम के घर के पास ब्राह्मण जाति के भू-सामंतों की जमीन है, जिन्हें इस महादलित परिवार का पक्का मकान अपनी जमीन के पास बनाया जाना नागवार लगा। सखन डोम सहित अन्य लोगों ने यह भी बताया कि वर्षों पहले उन्हें इंदिरा आवास मिला था किन्तु भू-सामंतों ने इंदिरा आवास का निर्माण नहीं करने दिया।

जब इस महादलित परिवार के पास अपनी जमीन नहीं थी तो सरकार एवं उसके प्रशासन ने खरीदकर या किसी अन्य स्रोत से इस महादलित परिवार के लिए आवासीय भूमि की व्यवस्था क्यों नहीं किया जबकि सरकारी घोषणा के अन्तर्गत महादलित परिवार के लिए आवासीय भूमि खरीदकर देने का प्रावधान है। इस भीषण अग्निकांड ने जहां दिनेश डोम के पूरे परिवार को काल के गाल में धकेल दिया, वहीं नितीश सरकार के सामाजिक न्याय एवं सुशासन की असलियत को सामने ला दिया है। नितीश सरकार के भ्रष्ट एवं पाखंडी प्रशासन ने मुआवजा के रस्म के नाम पर पीड़ितों को कुछ राशि दी है किन्तु उसकी दिनेश डोम की पूरी दुनिया ही उजड़ चुकी है। यहां यह भी बता देना आवश्यक है कि भूख एवं भय से ग्रसित अग्निकांड की भेंट चढ़े लोगों के बच्चे परिवार ने विशेषकर सखन डोम के परिवार ने हमें बताया कि वे लोग अब इस जमीन पर नहीं रहेंगे। इस हादसे के बाद वे रात के समय अपना घर छोड़कर आसपास खुले आसमान के नीचे अपने परिवार के साथ रात बिताते हैं। इसलिए उसके लिए तत्काल आवासीय भूमि एवं आवास की व्यवस्था अनिवार्य है। मुआवजे की रस्म अदायगी के बाद भ्रष्ट एवं जन विरोधी शासनतंत्र ने अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली है।

ग्राम रोपहथा के ही महादलित छोटेलाल राम को फूस के छप्पर का घर 18 अप्रैल 2024 को खेत जलाई गयी पराली की आग से जलकर भस्म हो गया। जान की हिफाजत तो की जा सकी किन्तु घर में रखा सारा सामान जलकर नष्ट हो गया। छोटेलाल राम और उनका परिवार इस अग्निकांड से हुए नुकसान को किस तरह झेल रहा है उसकी सुधि घटना के दो सप्ताह बाद तब ली गयी जब दिनेश डोम के साथ हादसा हुआ। ग्राम रोपहथा का ही रहने वाले पंचायत का मुखिया ने इस घटना के प्रति अपनी कोई जवाबदेही नहीं समझी।

रोहतास जिला के ही काराकाट प्रखण्ड के उप थाना कछवा की ग्राम इब्राहिमपुर में बिजली की तारों से टकराव आग की चपेट में देवराज चौधरी का फूस का घर जलकर खाक हो गया। परिवार के 7 लोग इस आग में जिन्दा जल मरे। घटना की जानकारी मिलते ही घटना के दूसरे दिन का. सुखारी बनवासी एवं विनोद शिंद की दो सदस्यीय टीम ग्राम इब्राहिमपुर पहुंची। अग्निकांड की यह घटना 10 अप्रैल 2024 की है।

एआईकेएमएस की जांच टीम ने यह पाया कि अति पिछड़े नोनिया समुदाय के मकान की दीवार अलबेस्ट की थी जिस पर फूस का छप्पर था। आग ने जब चारों तरफ से घेर लिया तो उसमें फंसे लोगों को कोई जगह नहीं मिली। यहां भी सवाल उठ रहा है कि इस अति पिछड़े समुदाय के गरीब परिवार को सरकार एवं उसके प्रशासन ने पक्का मकान क्यों नहीं दिया?

उपरोक्त घटनाएं विकसित भारत एवं विश्व की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था की दम्भ भरने वाली आरएसएस-भाजपा सरकार के तथाकथित हिन्दुत्व की भी पोल खोल रही है। ये घटनाएं इस देश व समाज में निचले पायदान के लोगा- महादलितों, अति पिछड़ों की वास्तविक स्थिति बताती हैं?

दलित अधिकार मोर्चा, प्रयागराज का गठन

दलितों के ऊपर बढ़ते हमलों, हिंसक घटनाओं, इनके राजनैतिक, सामाजिक व आर्थिक उत्पीड़न आदि समस्याओं पर व्यापक जन गोलबंदी करके दलितों के अधिकारों के संघर्ष के लिए "दलित अधिकार मोर्चा" प्रयागराज (डी.ए.एम.) का गठन 14 अप्रैल 2024 को घूरपुर सब्जी मंडी में बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेडकर की जयन्ती समारोह करके किया गया।

कार्यक्रम अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शुरू किया गया। समारोह में अच्छी संख्या में लोगों ने भाग लिया।

सभा के मुख्य अतिथि डा. हरजीत सिंह, संयोजक, प्रोग्रेसिव मेडिकोज एंड साइंटिस्ट्स फोरम, पी.एम.एस.एफ. ने कहा कि जाति गणना कराए बिना हिस्सा नहीं मिलेगा, जाति गणना तथा जाति अनुसार सुविधाओं के वितरण में संतुलन स्थापित करने के लिए संघर्ष करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आरक्षण पर हमला करके दलितों – आदिवासियों, पिछड़ों को अधिकार विहीन बनाया जा रहा है। घोषित पदों पर भी होनहार प्रत्याशियों का चयन नहीं किया जाता है और रिपोर्ट लगा दी जाती है कि लायक प्रत्याशी उपलब्ध नहीं था। उन्होंने जोर देकर कहा कि दलित मेहनती ईमानदार होते हैं, अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ जाते हैं, इसलिए आरक्षण को छीना जा रहा है। अंत में उन्होंने मोर्चे के गठन पर बधाई देते हुए कहा कि इसका विस्तार किया जाना चाहिए और इसके तहत संघर्ष खड़े किये जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि संघर्ष के बिना अधिकारों को हासिल नहीं किया जा सकता क्योंकि सत्ता में बैठे लोग इन्हें लागू करने के प्रति गंभीर नहीं हैं।

मोर्चे के सचिव राकेश पासी ने कहा की मोर्चे को गांव–गांव में मजबूत किया जाएगा। दलितों के अधिकार के प्रति जागरूक किया जाएगा व सामाजिक न्याय के आंदोलन को तेज किया जाएगा।

महासचिव सुरेश चंद्र ने कहा कि दलित अधिकार मोर्चा के 18 उद्देश्यों को व 22 प्रतिज्ञा को गांव–गांव, घर–घर पहुंचाया जाएगा। जाति गणना समेत जमीन में भी हिस्सेदारी की लड़ाई को आगे बढ़ाया जायेगा। उन्होंने कहा कि इस शुरुआत को आगे बढ़ाना है और ऐसा इसके सहयोग तथा भागेदारी से संभव होगा। मोर्चे के विस्तार के लिए उन्होंने संघर्षों की भूमिका पर जोर दिया।

मोर्चे के अध्यक्ष श्यामधर ने कहा कि डाक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ किये गये पूना पैक्ट में तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व ने दलित के दो वोट में से एक वोट का अधिकार छीन लिया गया, जिस वोट से केवल दलित अपने ही दलित प्रत्याशी को ही वोट देता। उसका मूल्य आज तक दलित चुका रहे हैं। वह अधिकार से आज भी वंचित हैं।

बाबा साहब के इस संदेश के साथ कि "शिक्षित हो – संगठित हो – संघर्ष करो" मोर्चा द्वारा 18 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की गयी। गोष्ठी में जाति अपमान के सभी सवालों पर – जमीन, आवास व रोजगार का अधिकार; दलित बस्तियों में पेयजल, नाली, सफाई, बिजली आदि सुविधाओं का अधिकार; सम्मानजनक वेतन व पेंशन व अधिकार पूर्वक पदोन्नति; छुआछूत; स्कूलों में व सामाजिक व्यवहार में भेदभाव; मंदिरों में घुसने पर रोक; दलित महापुरुषों के प्रतिमा को स्थापित करने पर रोक; जाति सूचक अपशब्दों आदि के विरुद्ध प्रगतिशील मान्यताओं का प्रचार तथा संघर्ष; खेती की जमीन की हदबंदी घटाना; शिक्षा समेत सरकारी संस्थाओं के निजीकरण पर विरोध; नई शिक्षा नीति का विरोध; आरक्षण व सुविधाओं की गारंटी; फर्जी केसों में फंसाये जाने का विरोध आदि मांगों पर भी चर्चा केंद्रित रही। इस चर्चा में प्रचार तथा संघर्ष के मुद्दे चिन्हित किये गये जिन्हें मोर्चा अपने कार्य का हिस्सा बनायेगा।

सभा को सौरभ बौद्ध, दिनेश वर्मा, समरजीत, एडवोकेट राजीव, गुलाब भारतीय, अनुपम, गुड्डू पासी, प्रकाश कुमार, महेंद्र, उदयराज, साहबलाल निषाद आदि ने भी संबोधित किया।

इस समारोह में परिवर्तन सास्कृतिक मंच के मुन्नी लाल, गंगा दीन, शिव प्रसाद, तनिष्क बौद्ध, मुन्ना राही ने गीत गाए।

कार्यक्रम के प्रचार में तथा संचालन के दौरान डा. अम्बेडकर द्वारा किये गये संघर्षों का कई वक्ताओं ने हवाला दिया। इस दौरान उनके 18 मार्च 1956 को आगरा में दिये गये बयान का भी उल्लेख किया गया – "मैं भूमिहीन मजदूरों के बारे में बहुत चिंतित हूँ। मैं उनके लिए पर्याप्त नहीं कर सका। मैं उनके दुखों और कठिनाईयों को सहन करने में सक्षम नहीं हूं। उनकी दिक्क्तों का मुख्य कारण है कि उनके पास जमीन नहीं है। इसलिए वे अपमान और अत्याचार के शिकार होते हैं। वे अपना उत्थान नहीं कर पायेंगे। मैं उनके लिए संघर्ष करुंगा। अगर सरकार इसमें कोई बाधा डालेगी तो मैं उन्हें नेतृत्व दूंगा और उनकी कानूनी लड़ाई लडूंगा। लेकिन मैं उन्हें जमीन दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा।"

"दलित अधिकार मोर्चा" की कार्यकारिणी में अध्यक्ष श्यामधर, पूर्व बी.डी.ओ; उपाध्यक्ष गुड्डू पासी; महासचिव सुरेश चन्द्र, संगठन मंत्री राकेश पासी; कोषाध्यक्ष डा. रविन्द्र कुमार, दुर्गाप्रसाद – उपाध्यक्ष, अनुपम उभारी मीडिया प्रभारी व डा. बी.एल. भारती, उदय राज, रमाशंकर टेलर, महेन्द्र पासी कार्यकारिणी सदस्यों सहित 11 सदस्यीय कमेटी गठित की गयी।

पत्रिका के नियमित प्रकाशन के लिए सभी पाठकों से अनुरोध

- *पत्रिका के लिए लेख व रिपोर्ट नियमित रूप से भेजें।*
- *पत्रिका के बारे में अपने सुझाव भेजें।*
- *कृपया पत्रिका की प्रतियों की राशि समय पर पहुंचाएं।*
- *लेख, रिपोर्ट, सुझाव तथा राशि पत्रिका के पते पर भेजें।*

इफ्टू : 138वां मई दिवस आरएसएस –बीजेपी सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों तथा मजदूरों को विभाजित करने की सांप्रदायिक साजिशों के खिलाफ व अपने अधिकारों के रक्षा को लेकर मनाया गया

इफ्टू के आवाहन पर देश भर में मजदूरों ने मई दिवस के अवसर पर जुलूस निकाले तथा सभाएं कीं। इन कार्यक्रमों में 4 लेबर कोडों के खिलाफ तथा मजदूरों के अधिकारों के लिए संघर्ष को तेज करने के निश्चय को दोहराया गया तथा आर.एस.एस.–भाजपा के साम्प्रदायिक फासीवाद के खिलाफ व्यापक प्रचार कर मजदूरों को इसके खतरों से आगाह करने का निश्चय किया गया।

इफ्टू (दिल्ली कमेटी) के झंडे तले सैकड़ों मजदूरों ने दिल्ली के रामलीला मैदान से मई दिवस जुलूस निकाला। दिल्ली के मायापुरी, ओखला, मंगोलपुरी से औद्योगिक मजदूर, सफदरजंग अस्पताल – एम्स –ईएसआई से परमानेंट व ठेका मजदूर , डीएसओआई से होटल मजदूर और वोकेशनल ट्रेनर्स बैनर, तख्तियां व नारों के साथ मई दिवस जुलूस में शामिल हुए। उनके साथ महिलाएं व छात्र छात्राएं भी जुलूस में शामिल हुए।

जुलूस जनसभा में तबदील हो गया जिसको इफ्टू दिल्ली कमेटी के अध्यक्ष कामरेड अनिमेष दास, कामरेड राजेश (महासचिव दिल्ली कमेटी), कामरेड पूनम (महासचिव, प्रगतिशील महिला संगठन), डा. विकास बाजपेई (अध्यापक जेएनयू व संयोजक जन हस्तक्षेप), तारा (पूर्व सदस्य, एस सी–एसटी कमीशन, मणिपुर), पीडीएसयू से का. गुड़िया, दिल्ली वोकेशनल ट्रेनर्स एसोसियेशन से का. सोमिका व सफदरजंग अस्पताल कर्मचारी संघर्ष यूनियन के अध्यक्ष का. उमेश ने संबोधित किया।

वक्ताओं ने मोदी सरकार द्वारा लाये गये चार लेबर कोडों का विरोध किया और इनको रद्द करने की मांग की। भयंकर बेरोजगारी, ठेकाकरण, बढ़ते काम का बोझ व घटते वेतन इस मौजूदा सरकार की देन है। बीजेपी –आरएसएस सरकार की मजदूरों के संघर्ष और एकता को हिंदू सांप्रदायिकता द्वारा बांटने की कोशिश लगातार जारी है। साथ साथ तमाम दमनकारी हथकंडे जैसे जुलूस, धरना, प्रदर्शन आदि पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। वक्ताओं ने कहा कि आज शिक्षा के निजीकरण और व्यवसायीकरण द्वारा शिक्षा दायरे से ही मजदूर वर्ग को बाहर निकाल दिया जा रहा है। मणिपुर व अन्य आदिवासी इलाकों में हमला किया जा रहा है और उन्हें अपने ही देश में शरणार्थी बनकर रहने को मजबूर किया जा रहा है। साथियों ने कहा कि दिल्ली के 95 प्रतिशत मजदूरों को आज श्रम कानूनों के दायरों से ही बाहर निकाल दिया गया है। सभी वक्ताओं ने दिल्ली के मजदूरों से आह्वान किया की 2024 मई दिवस को मोदी सरकार के सांप्रदायिक फासीवादी के खिलाफ और अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए संघर्ष को विकसित करने का संकल्प लेकर मनाए।

रामलीला मैदान, दिल्ली से जुलुस निकालते मजदूर

नवांशहर (पंजाब) : मई दिवस पर रैली के बाद सभा करते मजदूर

रिसड़ा (हुगली, प. बंगाल) : औद्योगिक क्षेत्र में मई दिवस सभा

मई दिवस पर ओडिशा में काशीपुर ;रायगड्डा जिलाद्ध में जुलूस निकालते इफ्टू से सम्बंधित बाक्साइट खदानों के ठेका मजदूर

नोएडा (गौतमबद्ध नगर, उत्तर प्रदेश) : मई दिवस मीटिंग

मलोट (पंजाब) में इफ्टू द्वारा मई दिवस सभा

मई दिवस जुलूस निकालते एन.टी.पी.सी. कहलगांव (बिहार) के मजदूर

पंजाब : 'बीजेपी भगाओ' 'बीजेपी हराओ' नारे के तहत भाजपा उम्मीदवारों का स्थान–स्थान पर विरोध

"भाजपा हराओ" "भाजपा भगाओ" नारे के तहत पंजाब के बहुत से हिस्सों में लगातार प्रोग्राम किये जा रहे हैं जिनमें बड़ी संख्या में लोग भाग ले रहे हैं। ये प्रोग्राम लगातार जारी हैं। इनमें भाजपा नेताओं को काले झंडे दिखाना तथा उनके खिलाफ नारे लगाना शामिल है। हम यहां कुछ प्रोग्रामों की रिपोर्ट ही दे रहे हैं। रिपोर्ट कुछ क्षेत्रों से हैं जबकि विरोध पूरे पंजाब में हो रहा है।

मोगा : फरीदकोट से बीजेपी उम्मीदवार के अंदरूनी इलाके में आने का प्रोग्राम का विरोध

इसकी जानकारी मिलते ही किरती किसान यूनियन ने विरोध की तैयारी शुरू कर दी। हंसराज हंस जिस मोड़ से गुजरने वाले थे, उन्होंने उसे रोक दिया और नारे लगाने लगे। हंसराज हंस की सभा में कृपाणों से सुसज्जित मंदिर भी थे। पुलिस भारी बल के साथ आई और डायवर्जन खाली नहीं करने पर उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी दी। नेता अड़े रहे जिसके चलते पुलिस ने प्रदेश अध्यक्ष निर्भय सिंह ढुडीके, बेअंत सिंह मल्लीआना, बूटा सिंह तखनवाध, जगसीर सिंह ढुडीके आदि को गिरफ्तार कर लिया और अजितवाल पुलिस स्टेशन बंद कर दिया। लेकिन इसके बावजूद नौजवान भारत सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष करमजीत मानूंके, किरती किसान यूनियन के जिला सचिव चमकौर सिंह रोडेखुर्द, जिला प्रेस सचिव जसमेल सिंह राजियाना ने हंस राज हंस की गाड़ी के आगे नारेबाजी की। पुलिस ने बधनी कलां थाने में मंगा सिंह वैरोके समेत ग्रामीण मजदूर यूनियन के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। देर शाम सभी नेताओं को रिहा कर दिया गया।

हंस राज हंस के विरोध के दौरान गिरफ्तारियां हंस राज हंस को फरीदकोट में 5 बार घेरा गया

फरीदकोट : धान के सीजन के बावजूद संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किरती किसान यूनियन और नौजवान भारत सभा समेत अन्य संगठनों ने भाजपा से चुनाव लड़ रहे हंस राज हंस का कड़ा विरोध किया। भाजपा किसानों की आय दोगुनी करने का दावा करती थी लेकिन किसानों की हालत दिन–ब–दिन खराब होती जा रही है। किसान लगातार कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। किसानों का कर्ज माफ करने की बजाय कॉरपोरेट घरानों का कर्ज माफ किया जा रहा है। केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा तीन कृषि कानून लाए गए जिन्हें भारी जन विरोध, विशाल किसान आंदोलन के कारण वापस लेना पड़ा। इस आंदोलन में कई किसान शहीद हो गए. लखीमपुर खीरी में बीजेपी विधायक अजय मिश्रा के बेटे ने किसानों की हत्या कर दी। अभी तक उन शहीद किसानों को न्याय नहीं मिला है. धरना–प्रदर्शन पर भी लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। शंभू और खनूरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों पर गोलियां चलाई गईं। आंसू गैस के गोले फेंके गए और पंजाब की सीमा में घुसकर किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, जिससे किसान शहीद हो गए हैं।

इसके बाद हंस राज हंस बाघापुराना आ गए। बाघापुराना में सुबह 8 बजे गुपचुप तरीके से हंस राज हंस की बैठक का कार्यक्रम रखा गया था लेकिन इसकी भनक ब्लॉक बाघापुराना के नेताओं को लग गई और किसान नेता बैठक स्थल पर पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। निहाल सिंहवाला में भी विरोध प्रदर्शन किया। हंसराज हंस का विरोध करने पर कई किसान नेताओं को पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया।

बाघापुराना में सीए स्टाफ बंद

महिला विंग के गिरफ्तार नेताओं में छिंदरपाल कौर रोडेखुर्द, जगविंदर कौर राजियाना, अजमेर सिंह छोटाघर, जसमेल सिंह राजियाना, बेअंत सिंह मल्लियाना, मोहन डाला, बलकरण वैरोके आदि इन प्रमुख नेताओं के अलावा कई किसान नेता शामिल थे। जिसके बाद ग्रामीण मजदूर यूनियन, नौजवान भारत सभा और बिरादराना संगठनों के नेतृत्व में थाने के सामने धरना देकर गिरफ्तार साथियों को रिहा कराया गया। बीजेपी प्रत्याशी हंसराज हंस के विरोध से लोग काफी उत्साहित हैं।

वक्ताओं ने जोर दिया कि बिजली बिल 2020 रद्द नहीं किया गया है और न ही सरकार ने किसानों द्वारा आंदोलन के दौरान किए गए पर्चे रद्द किए हैं।

फासीवादी भाजपा सरकार एक सांप्रदायिक जनविरोधी सरकार है। पंजाब की जनता भाजपा को पंजाब में प्रचार नहीं करने देगी। बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हंस राज हंस का फरीदकोट में किरती किसान यूनियन के जिला उपाध्यक्ष राजिंदर सिंह किंगरा, जिला नेता गुरमीत सिंह और युवा भारत सभा के राज्य नेता नौनिहाल सिंह के नेतृत्व में 5 बार घेराव किया गया। भाजपा के खिलाफ लोगों का विरोध तीखे रूप में सामने आएगा।

समाना (पटियाला)

पटियाला लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार महारानी प्रणीत कौर को 14 अप्रैल को समाना में आयोजित बूथ मीटिंग में पहुंचने पर किसानों के भारी गुस्से का सामना करना पड़ा। इसके अलावा पटदार में भी महारानी प्रणीत कौर का किसानों ने विरोध किया। किसानों ने काले झंडे लहराए और उनके खिलाफ नारे लगाए। इस मौके पर जब पुलिस ने किसान नेताओं को गिरफ्तार कर बस में बिठाया तो मौके पर मौजूद सैकड़ों किसानों ने पुलिस बस को घेर लिया और समाना–पटियाला रोड पर जाम लगा दिया जिसके चलते पुलिस को गिरफ्तार नेताओं को बिना शर्त रिहा करना पड़ा।

इस मौके पर किरती किसान यूनियन के जिला नेता कुलबीर टोडरपुर, भारतीय किसान यूनियन उगराहां के जगमेल सिंह गाजेवास, क्रांतिकारी किसान यूनियन के सुखविंदर तुलेवाल, भारतीय किसान यूनियन लाखोवाल के अवतार भेदपुरी, कुल हिंद किसान सभा के जगतार फतेह माजरी, जम्हूरी किसान सभा के पूरन चंद नन्हेड़ा ने संबोधित किया।

उल्लेखनीय है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने देश भर में बीजेपी उम्मीदवारों के विरोध का आह्वान किया है।

छात्र संगठनों का आवाह्न

गाजा में जनसंहार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करें

जियनवादी इजरायली शासक फिलीस्तीनियों की राष्ट्रीय आकांक्षाओं या अपने हमले के विरोध को कुचलने के लिए फिलिस्तीन पर सीधे कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। इजराइल का कथित औचित्य केवल एक धुएँ का पर्दा है। आत्मरक्षा के उनके अधिकार का वास्तव में मतलब फिलिस्तीन से सभी फिलिस्तीनी लोगों को खत्म करना है।

गाजा में 35,000 से अधिक फिलिस्तीनियों की हत्या और इनके अलावा कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजरायली सेना द्वारा 100 से अधिक फिलीस्तीनियों की हत्या दरअसल आधुनिक इतिहास में सबसे बड़े नरसंहारों में से एक है जो अभी दुनिया में हो रहा है। डॉक्टर मारे गए हैं और अस्पताल तबाह किये गए। इजरायली सेना ने विश्वविद्यालयों, स्कूलों और पुस्तकालयों सहित गाजा के सभी शैक्षिक बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया है और अपने पीछे मलबे के अलावा कुछ भी नहीं छोड़ा है। इजराइल को अमेरिकी सरकार से अधिक सैन्य सहायता मिल रही है जबकि अमेरिकी संस्थाएँ गाजा में चल रहे जनसंहार को बढ़ावा देने वाली कंपनियों से आर्थिक रूप से मुनाफा कमाती हैं। गाजा में सामूहिक कब्रें, अकाल और मानवीय तबाही आम होती जा रही हैं।

भारत सरकार भी एक तरह से इस जनसंहार की मदद ही कर रही है और फिलिस्तीनी लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही है। वे भारतीय मजदूरों को इजराइल भेज रहे हैं। भारतीय कंपनियाँ निर्दोष लोगों को मारने के लिए इजराईल को हथियार की आपूर्ति कर रही हैं।

ऐसी घटनाओं के सामने छात्र चुप नहीं रह सकते। दुनिया भर में, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका में, दमन का सामना करने के बावजूद, छात्र बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

हम सभी छात्र संगठनों से आह्वान करते हैं कि वे व्यापक रूप से समर्थित मांगों के साथ संयुक्त रूप से प्रदर्शन करें और विरोध कार्रवाइयों की योजना बनाएं और इसमें जितने भी हो सकें अलग–अलग छात्रों और संगठनों को शामिल करें।

हमारी माँगें है :

1. गाजा में जनसंहार पर तुरंत रोक लगाई जाए। जनसंहार के दोषी नेतानयाहू व अन्य इजराईली अधिकरियों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय गिरफ्तारी का वारंट जारी करे।

2. किसी भी इजरायली शैक्षणिक संस्थान के साथ कोई संबंध नहीं, ना ही किसी भी शैक्षणिक संस्थान में फंडिंग।

3. भारतीय कंपनियों द्वारा इजराइल को हथियारों की आपूर्ति रोका जाए।

10 मई 2024 अखिल भारतीय समन्वय पीडीएसयू–पीएसयू

लोकसभा चुनाव ....

(पृष्ठ 5 का शेष)

की उपलब्धियों के आधार पर नहीं बल्कि हिन्दु–मुसलमान विभाजन के आधार पर जीतना चाहती है। आरएसएस–भाजपा नेताओं के खुद अपने बयान अपने शासन की उपलब्धियों के उनके दावों की कलई खोल रहे हैं।

इस प्रचार में एक और मुखर पक्ष यह भी है कि इसमें धनिकों की सम्पत्ति और उसमें बेतहाशा वृद्धि की गरीबों की मिल्कियत के रक्षा के नाम पर हिफाजत करने की कोशिश की गई है। अचरज है कि जिन आरएसएस–भाजपा नेताओं को अति धनिकों की सम्पत्ति और मुनाफे पर जरा भी चोट गंवारा नहीं है, उन्हें कृषि कानूनों के जरिये किसानों की जमीन कारपोरेट को देने पर काफी प्रसन्नता हो रही थी। वे आज भी गरीब आदिवासियों को अपने परंपरागत जमीन तथा प्राकृतिक आवास से बेदखल कर रहे हैं। दरअसल उनका 'विरासत की हिफाजत' का नारा इस संदर्भ में गरीबों से छीनकर अमीरों को देने का नारा है। इनका मतलब है कि अमीरों की सम्पत्ति गरीबों के शोषण से अर्जित नहीं की जाती बल्कि उनकी अपनी मेहनत की कमाई होती है। पूंजीपतियों के शोषण को उनकी गाढ़ी कमाई बताकर मजदूरों के शोषण पर पर्दा डाला जा रहा है। इसका एक खतरनाक पहलू जमींदारों की जमीन है अर्थात भूमि सुधारों के तहत जमींदारों की जमीन का भूमिहीन गरीब किसानों में वितरण, उनकी पुश्तैनी सम्पत्ति, उनकी गाढ़ी कमाई पर चोट है। वैसे भी शासक वर्गों ने भूमि सुधारों को तिलांजलि दे दी है और अब इस धारणा पर ही हमला किया जा रहा है।

दरअसल यह धनिकों तथा बड़े भू–स्वामियों की सेवा तथा रक्षा की बात है। बात गरीबों की, काम अमीरों का, यही उनकी असलियत है जो सम्प्रदायिक पर्दे के बावजूद यह असलियत साफ झलक रही है।

If Undelivered, Please Return to

Pratirodh Ka Swar

Monthly

Balmukand Khand,
Girinagar,
New Delhi-110019

Hindi Organ of
CPI(ML)-New Democracy

R. N. 47287/87

Book Post

To

प्रकाशक, मुद्रक व स्वामी यतेन्द्र कुमार द्वारा स्टार ऑफसेट, टी-2151/8-ए-2, न्यू पटेल नगर, नई दिल्ली–110008 से मुद्रित व बालमुकन्द खण्ड, गिरी नगर, नई दिल्ली–110019 से प्रकाशित। सम्पादक : यतेन्द्र कुमार